

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 65 वीं वार्षिक महासभा “एसबीआई सभागार”, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में मंगलवार, 14 जुलाई, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित कार्य के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

“भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2020 तक के तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि खाता तथा भारतीय स्टेट बैंक के कार्य और कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट एवं तुलन-पत्र और लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसे स्वीकार करना”।

कॉरपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई - 400 021
दिनांक: 05 जून 2020

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए साधारण बैठक में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 (''एमसीए परिपत्र'') और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी वार्षिक महासभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। बैठक का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।
3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना एजीएम में हिस्सा लेने की अनुमति है।
4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।
5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्क्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। वार्षिक महासभा की तारीख अर्थात् 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
7. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वार्षिक महासभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।
8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, वार्षिक महासभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।
9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया “दो चरण” की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1 : <https://www.evoting.nsdl.com/> पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर <https://www.evoting.nsdl.com/> यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही “लॉग-इन” आइकॉन पर क्लिक करें, जो “शेयरहोल्डर्स” भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

आपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉग-इन से <https://eservices.nsdl.com> पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉग-इन करते ही ई-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं :

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागजरहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज में	आपका यूजर आईडी :
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक- आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300**** है और ग्राहक आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी होगा IN300****12*****
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12***** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12*****
ग) कागज रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001**** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001****

5. आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

- क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।
- ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।
- ग) अपने ‘प्रारंभिक पासवर्ड’ को कैसे रिट्रीव करें
 - (i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूँढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप “प्रारंभिक पासवर्ड” रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Physical User Reset Password” पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज रूप में हैं)

ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/ फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद “टर्म्स एंड कंडीशंस” का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8. अब आपको “लॉगइन” बटन पर क्लिक करना होगा।

9. “लॉगइन” बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा।

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है :

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।

2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी “ईवीईएन” कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।

3. बैंक के “ईवीईएन” का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।

4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।

5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और “सबमिट” पर क्लिक करें। कहे जाने पर “कनफर्म” पर भी क्लिक करें।

6. पुष्टि के बाद “सफलतापूर्वक मतदान किया गया” संदेश दिखाई देगा।

7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।

2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प “Forgot User Details/Password” अथवा “Physical User Reset Password” का चयन करना होगा।

3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटारियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।

3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, महासभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।
3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे वार्षिक महासभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।
5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से वार्षिक महासभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से वार्षिक महासभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।

4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।
5. वार्षिक महासभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11.00 बजे वार्षिक महासभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।
6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपर्युक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यक्षीन वार्षिक महासभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात् 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। वार्षिक महासभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट <https://evoting.nsdl.com> पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई - 400 021